ग्रामीण भारत के विकास में महिला मुखिया की भूमिका व चुनौतियाँ :

Mukesh Kumar Meena

प्रस्तावनाः–

स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन के माध्यम से जनता स्वंय शासन करती है, प्रशासन जनता के क्रियाशील रहता हैं। प्रजातंत्र की प्राप्ति स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सम्भव हैं। स्थानीय स्वशासन का महत्त्व प्रारम्भ से ही रहा है, वर्तमान युग में राज्यों की विशालता और प्रजातंत्र के कारण इसका महत्त्व बढ़ गया है। स्थानीय स्वशासन में राज्यों को स्वायत्त शासन की छोटी–छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। उन क्षेत्रों के विकास कार्यों का सम्पादन उक्त स्थान की जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करती है। संविधान का (73वां संशोधन) अधिनियम ने भारतीय ग्रामीण राजनीतिक व्यवस्था में पंचायत को आमने–सामने, खुले और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एक मंच के रूप में मान्यता दी है। पंचायतें तीसरे स्तर पर स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में व्यवस्थित होती है, जिसका काम आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय स्थापित करना है, साथ–साथ ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों का योजनाओं के तहत क्रियान्वयन करना है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि संवैधानिक सुधार के माध्यम से कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है जो लोकतंत्र में भागीदारी और लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देता है।

भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है, 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया।

सैद्धान्तिक अवधारणा –

गाँधी (2017) के अनुसार, ''यदि गाँव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा।'' ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना यह है कि एक ऐसा सम्पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसियों पर भी निर्भर नहीं रहेगा और फिर भरी बहुतेरी दुसरी जरूरतों के लिए जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा, वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। इस तरह प्रथम कार्य हर गाँव का यह होगा कि वह अपनी जरूरतों का तमाम अनाज और कपड़ों के लिए पूरा कपास खुद ही पैदा कर ले उसके पास इतनी अतिरिक्त जमीन होनी चाहिए जिसमें पशु चर सकें और गाँव के बड़े और बच्चों के मन–बहलाव के साधन, खेल, कूद के मैदान की व्यवस्था हो सकें।'' रजनी कोठारी (1989) का मानना है कि ''इन संस्थाओं ने नए स्थानीय नेताओं को जन्म दिया है जो आगे चलकर राज्य और केन्द्रीय सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं।'' डॉ. अम्बेडकर (2018) के अनुसार, ''ये ग्राम प्रजातंत्र भारत के विध्वंस और अधःपतन के कारण है। ये गाँव नहीं है, स्थानीय स्वार्थ के केन्द्र हैं। अज्ञानता, संकुचित मानसिकता और साम्प्रदायिकता के आधार है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि संविधान के प्रारूप ने गाँव का बहिष्कार कर दिया है और व्यक्ति को इसकी इकाई माना है।''जॉन जे. क्लार्क (1948) का विचार है कि 'किसी राष्ट्र अथवा राज्य की सरकार के उस भाग को स्थानीय प्रशासन कहते हैं जो प्रमुखतया ऐसे विषयों का प्रबन्ध करता है जिनका सम्बन्ध उस विशिष्ट जिले अथवा स्थान के निवासियों से होता है। वी.वी. राव (1965) का मानना है कि 'स्थानीय प्रशासन सरकार का वह भाग है जो स्थानीय विषयों का प्रबन्ध करता है जो सत्ताधारी राज्य सरकार के अधीन प्रशासन चलाते हैं, परन्तु उनका निर्वाचन राज्य सरकार के स्वतंत्र व सक्षम निवासियों द्वारा किया जाता है। गोखले (1972) ने कहा है कि स्थानीय प्रशासन की तरह परिभाषा देते हुए कहते हैं कि एक निश्चित इलाके में निवास करने वाले लोगों द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार ही स्थानीय प्रशासन (स्वशासन) है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि –

पंचायती राज की परिकल्पना, स्वरूप एवं उसके माध्यम से ग्रामीण विकास की अवधारणा आजकल की बात नहीं अपितु इसका इतिहास वैदिक काल से भी पूर्व का है। भारत के प्राचीन इतिहास की पृष्ठभूमि के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में भी पंचायती राज का अस्तित्व था। तत्कालीन राज पंचायतों के माध्यम से राज कार्य

सम्भालता था। उस दौरान ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी होता था, जो पंचायत का भी प्रमुख होता था। भारत में ग्राम पंचायत व्यवस्था का अस्तित्व उतना ही प्राचीन है, जितना कि भारत वर्ष, ऋग्वेद मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में इसका प्रमाणिक विवेचन मिलता है। बौद्ध काल में ग्राम परिषदें थी। इन परिषदों का कार्य ग्राम भूमि पर लगान की व्यवस्था एवं शान्ति, सुरक्षा स्थापित करना था। मौर्य काल तक पंचायतों के कार्यक्षेत्र विस्तृत हुआ करते थे। चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में ग्रामीण लोग पंचायतों में रुचि लिया करते थे। राजनीति शास्त्र के ज्ञाता कौटिल्य ग्राम को राजनीति की इकाई के रूप में स्वीकार करते थे। कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अर्थशास्त्र' में अनेकों बार ग्रामिक शब्द का उल्लेख किया है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में आदर्श गाँव की चर्चा की है, इससे पता चलता है, कि मध्य युग में स्थानीय प्रशासन व्यवस्था का चलन था, गाँवों की जमीन व अर्थ–संपत्ति की देखरेख 'श्रेष्ठियों' द्वारा होती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ग्राम पंचायतों का विस्तृत विवरण मिलता है, प्रसिद्ध यात्री मेगस्थनीज ह्वेनसांग, फाह्यान आदि ने अपने यात्रा संस्मरणों में ग्राम पंचायत व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया है।मुगल शासकों ने प्रचलित विकेन्द्रीकृत प्रशासकीय व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। उन्होंने इसका उपयोग अपने शासन को मजबूत करने के लिए किया। ब्रिटिश शासन का स्थानीय सरकारों पर तात्कालिक प्रभाव पूरी तरह अलग रहा। उनके द्वारा स्थानीय समुदायों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई, ब्रिटिश सरकार शुरू से ही भारतीयों को कोई शक्ति व उत्तरदायित्व देने के पक्ष में नहीं थी। अंग्रेज शासक मानते थे कि भारतीय प्रजातांत्रिक संस्थाएँ चलाने के लिए अयोग्य है। ब्रिटिश शासनकाल में ग्राम समुदाय की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा प्रशासनिक कार्यों पर पकड़ कम होती गई। भूमि व उसके उत्पाद पर नियंत्रण घटता गया। परंपरागत स्थानीय स्वशासन के जो कुछ अवशेष मुगलकाल से बचे हुए थे वे भी ब्रिटिशकाल में समाप्त हो गये। ब्रिटिश शासनकाल में ही कुछ समय के उपरांत पंचायतों का नया रूप उभरकर सामने आया जिसे पंचायतों का पुर्नोदय कहा जा सकता है। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन् 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लार्ड रिपन भारत का वायसराय था। स्थानीय स्व–सरकार प्रस्ताव'' पारित किया जिसने स्थानीय सरकार के विकास को बढ़ावा दिया, रिपन स्थानीय सरकार के समर्थक था और उसका मानना था कि स्थानीय स्व–शासन सरकार 'प्रशासनिक सक्षमत' 'राजनीतिक तथा लोकप्रिय शिक्षा' और मानव विकास का माध्यम है। आधुनिक समय में स्थानीय शासन उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। बहरहाल, इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हुई।

19वीं सदी के उत्तरार्द्ध एवं बीसवीं सदी के प्रारम्भ में राष्ट्रीय नेताओं एवं समाज सुधारकों की माँग पर स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए समय–समय पर प्रयास किए गए। परन्तु पर्याप्त प्रशासकीय एवं वित्तिय अधिकारों के अभाव में पंचायत व्यवस्था को नव जीवन प्राप्त नहीं हो सका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से माँग की कि सभी स्थानीय बोर्डो को ज्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। अगस्त, 1917 में ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न स्तरों में भारतीयों को भागीदारी देने तथा पंचायतों को कारगर व सशक्त बनाने की घोषणा की। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर 1919 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम, 1919 पारित किया। इसे मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में पंचायतें प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित करने की बात कही गई थी। पंचायतों के अधिकारों और कार्यों पर जोर दिया गया था।

1919 के भारत सरकार अधिनियम ने पंचायत का विषय राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया। भारत सरकार अधिनियम, 1935 में पंचायतों को प्रांतीय विधायी सूची में सम्मिलित कर दिया। 1935 का भारत अधिनियम उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के मार्ग में सन् 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बाद यह दूसरा कदम था। सन् 1937 में जब सभी प्रांतों में सरकारें बनीं तो सभी ने पंचायतों को जनप्रतिनिधित्व की संस्थाएँ बनाया। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ जाने से इस प्रक्रिया में पुनः गतिरोध आ गया। (महीपाल, 2004)। 1939 से 1946 तक भारत में हर स्तर पर गवर्नर का ही शासन चला जिसमें नौकरशाही का बोलबाला था। इस काल में ब्रिटिश सरकार ने पंचायतों को पूरी तरह नजर अंदाज कर दिया।

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया जाना प्रारम्भ हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–40 में प्रांतीय सरकारों को पंचायतों का पुनर्गठन कर उन्हें अधिकार सम्पन्न कर स्वायत्त शासन की इकाई बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये। परन्तु इस महत्त्वपूर्ण कार्य में पंचायतों के बजाये सामुदायिक विकास खण्डों विकास अधिकारी, नौकरशाहों विधायकों, सांसदों को अधिक अधिकार दिये गये। अनेक राज्यों में पंचायतें तथा न्याय पंचायते गठित की गई, परन्तु ग्रामीण विकास की पहल ग्राम पंचायतों के हाथ में ही रही।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया, मगर ये कार्यक्रम सफल नहीं रहा। इस विफलता के कारण दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने इस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1956 में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। बलवंत राय मेहता समिति ने जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जाँच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नबम्वर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतात्रिंक विकेन्द्रीकरण (स्वायत्ता) की योजना की सिफारिश की जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें तीन स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना– जिला स्तर पर, जिला पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर– ग्राम पंचायत।

अशोक मेहता समिति (1977) जनता पार्टी की सरकार अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियाँ उत्पन्न हो गयी थी इन कमियों को ही दूर करने तथा सिफारिशे करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया।

डॉ० जी.वी.के. राव समिति (1985) डॉ० जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके उन्हें यह कार्य सौंपा गया कि वह ग्रामीण विकास तथा गरीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करें।

डॉ० एल.एम. सिंघवी समिति (1986) में राजीव गाँधी सरकार ने 'लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार' पर एक समिति का गठन एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में किया।

पश्चात्वर्ती संशोधनों में 73 वें और 74 वें संशोधन का विशेष महत्व है, ये 1992 में पारित हुए। इनके द्वारा राज्य से नीचे की इकाइयों के गठन के लिए निर्वाचन प्रणाली का समावेश किया गया है ये इकाइयाँ है ग्रामीण क्षेत्रों में पचायते और नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिकायें। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली (20लाख) तक की आबादी वाले राज्यों के बीच के स्तर को छोड़ कर दो–स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था करने की इजाजत दी गई है।, पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होगा, ग्रामसभा की मतदाता सूचियों में पंजीकृत सभी लोग इसके सदस्य होंगें, सभी पंचायतों में सीधे तौर पर चुनाव के जरिए भरी जाने वाली सीटों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी जो उनकी कुछ जनसंख्या के अनुपात में होगी और इनमें से एक तिहाई सीटें इन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, राज्यों के राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगें जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगें और सिफारिशें करेगें।

नगरीय शासन की प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिल गया। केन्द्र स्तर पर ''नगरीय स्थानीय शासन'' का विषय निम्नलिखित तीन मंत्रालयों से सम्बन्धित है। नगर विकास मंत्रालय, जो कि 1985 में एक अलग मंत्रालय के रूप में सृजित किया गया। रक्षा मंत्रालय कैण्टोनमेण्ट बोर्डों के मामले में गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों के मामले में किया गया।

साहित्य पुर्नावलोकन

द्विवेदी (2015) – ने अपनी पुस्तक के उद्देश्य के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बताया है। प्रस्तुत लेख की शोध पद्धति विश्लेषणात्मक है। लेखक ने पुस्तक के माध्यम से महिला के सशक्तिकरण की बात कही गई है, जिसमें महिलाओं को सामाजिक, राजनीति, आर्थिक और कानूनी रूप से सोचने समझने और जीने की स्वतंत्रता आवश्यक मानी गयी है। सशक्तिकरण का संबंध महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्णय से है। राजनीतिक दलों के भेदभाव पूर्ण रवैये के बावजूद भी भारत में महिला मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़त देखी जा सकती है। निष्कर्ष के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार ने इस संबंध में कई सकारात्मक कदम उठाए है तथा यह अवश्यक माना है कि ग्रामीण महिलाओं मे भी चेतना और जागृति का विस्तार हो। महिलाओं को भी पूर्ण रूप से आत्म निर्भर बनाना और अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाना अति आवश्यक है जहाँ महिलाऐं निर्णय लेने में स्वतन्त्र होगी, उसी के अनुरूप महिलाऐं देश में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी और जिम्मेदारी को समझेगी।

जैन एवं गानीगेर ;2013द्ध . प्रस्तुत लेख में लेखक का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी और समाजिक अवसर, चुनौतियों और ई–गवर्नेन्स के माध्यम से विकास, राजनीति रूप से प्रतिनिधित्व तथा आर्थिक रूप से सशक्तिकरण को दर्शाना है। प्रस्तुत लेख की शोध पद्धति विलेषणात्मक व वर्णनात्मक है, लेखक के माध्यम राजनीति कार्यों में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता के कारण महिलाओं के खुद के स्वाभिमान वृद्धि बढ़ रही है। पंचायती राज्य में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था से महिलाओं में राजनीतिक रूप से जागरुकता हुई है, तथा कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिये गये हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाऐं भी सशक्त एवं जागरूक बनकर अपने अपने कार्यों से समाज कल्याण एवं देश कल्याण में भूमिका निभा रही है। लेखक ने लेख के अन्तर्गत अंत में सुझाव, स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के लिए कानूनी ढाँचे और नीतियों को मजबूत करना आदि का वर्णन किया है। ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करने तथा कानूनो और नियमों को अच्छी तरह से अवगत कराने के लिए सुविधा का निर्माण करना, स्थानीय सरकारो में चयनित महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि पर भी वह बल देते हैं। निष्कर्ष के आधार पर लेखक ने महिलाओं को समान रूप से सशक्त बनाने के लिए शिक्षा तथा कानून में सुधार करना जरूरी समझा है।

मन्ना एवं राजवंश ;2018द्ध . प्रस्तुत लेख में लेखक का उद्देश्य स्थानीय स्वशान में महिलाओं की भागीदारी और समाजिक विकास के प्रभाव की पहचान कराना है। प्रस्तुत लेख की शोध पद्धति वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक है लेखक ने लेख के माध्यम से मालदा जिले के गजोल वॉक जिले में पंडुआ बैरगछी एल–ग्राम पंचायत के बीच तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट किया है कि अधिकांश महिलायें परिवार के सदस्यों में राजनीतिक पार्टी के सम्बन्ध है तथा परिवार के सदस्यों की राजनीति पृष्ठभूमि जमीनी स्तर पर महिलाओं के चुनाव के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करती है। निष्कर्ष राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 10 प्रतिशत पंडुआ और 14.66 बैरगछी के आधार पर लेखक ने स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की राजनीति भागीदारी के लिए कानूनी ढाँचे और नीतियों को मजबूत करना ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करना, जागरूक और सामाजिक गतिशीलता पैदा करना आदि पर प्रकाश डाला है।

चौहान ;2017द्ध – प्रस्तुत लेख में लेखक ने स्थानीय स्वशान में राजनीतिक आधार पर विकास करना तथा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण के आधार पर प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत लेख की शोध पद्धति विश्लेषणात्मक व विवेचनात्मक है। लेखक के लेख के माध्यम से कहा जा सकता है कि ग्रामीण पंचायत के विकास करने के लिए कुछ राजनीति स्तर का सुधार करना आवश्यक है, तथा महिलाओं को जो आरक्षण दी गई है, ग्रामीण स्तर पर 13वां संविधान संशोधन के अन्तर्गत 1992 में 30 प्रतिशत आरक्षण तथा अब 33 प्रतिशत आरक्षण कर दी गई है तथा कुछ राज्य में 50 प्रतिशत आरक्षण भी दिये गए है महिला राजनीति रूप से जागरुक हो रही है तथा पंचायती राज्यों में स्त्रीयों की सहभागीता के कारण महिलाऐं बढ़–चढ़ कर भाग ले रही हैं। राजनीति सशक्तिकरण के माध्यम से समाजिक सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेखक ने लेख के अन्तर्गत अन्त में सुझाव और निष्कर्ष, पंचायती राज्य व्यवस्था में भागीदारी के लिए केवल आरक्षण को ही वैकल्पिक समाधान नही माना है बल्कि शिक्षा को भी अधिक से अधिक महत्त्व दिया है जो महिलाओं को जागरुक करने के लिए महिला शक्ति और समस्या का समाधान के तरीके साबित होगें। कानूनी प्रवधानो के सशक्त महिलाओं में जागरूकता पैदा करना भी लेखक ने अनिवार्य माना है। निष्कर्ष के आधार पर लेखक द्वारा देश का विकास तभी सम्भव है जब ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्तिकरण किया जायेगा क्योंकि वर्तमान में पंचायती राज्य व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राय (2006) – प्रस्तुत लेख में लेखक का उद्देश्य राजनीति निर्णय लेने में महिलाओं की राजनीति में मात्रात्मक वृद्धि का अध्ययन महिलाओं के राजनीति सशक्तिकरण में गुणात्मक परिर्वतन में बदलाव व ग्रामीण पंचायत बिहार के सन्दर्भ में प्रस्तुत लेख की शोघ पद्धति विश्लेषणात्मक व वर्णनात्मक है लेखक ने लेख के माध्यम से वर्तमान अध्ययन के परिणाम से पता चलता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण भारत के ग्रामीण स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा हो सकती है। राजनीति भागीदारी में महिलाओं को सामान्य रूप से आरक्षण तथा सुविधा सरकार दे रही है लेकिन यह निर्धारित महिलाओं की भागीदारी के लिए कोई गारंटी नही है।

साई और वर्धन (2017) – प्रस्तुत लेख में लेखक का उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में अध्ययन स्थानीय स्वशासन में कितनी है। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका के क्या लाभ हैं। तथा प्रशासन में महिलाओं के सहयोग पर भागीदारी का विश्लेषण करना है। प्रस्तुत लेख की शोध पद्धति, विश्लेषणात्मक व विवेचनात्मक है लेखक ने लेख के माध्यम से भारत में निकटवर्ती सरकारी स्तरों के लिए प्रासंगिक है इस पत्र के परिणामों ने महिलाओं के उस प्रतिशोध को उजागर किया है और आस पास के प्रशासन खराब है क्योंकि उन्हें सम्पत्ति को 30 प्रतिशत पूरा करने की आवश्यकता है। समाज में अल्पसंख्यकों के बारे में नीति जमीन स्तर पर महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासन की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। निष्कर्ष के आधार पर लेखक ने लेख के अन्तर्गत राजनीति तथा सामाजिक जो अनिवार्य समस्या है सरकार का सहयोग करना चाहिए तथा महिलाओं को सामाजिक समूह तथा नीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए।

शेण्डे (2006) – ने अपनी पुस्तक में लेखक के उद्देश्य का अध्ययन करना है, कि नारी उत्थान भारतीय संविधान में, शिक्षा नारी परिवर्तन का एक माध्यम का अध्ययन, नारी उत्थान सामाजिक संस्थाओं का योगदान, नारी उद्वार के बारे में अध्ययन करना है। प्रस्तुत पुस्तक की शोध पद्धति विश्लेषणात्मक व वर्णनात्मक है लेखक ने पुस्तक के माध्यम से नारी के आगे बढ़ने तथा पुरुष के साथ कन्धा मिलाकर देश के विकास में बराबर भाग लेती हैं। भारत की नारी ने इस चुनौति को स्वीकार कर उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने कार्य क्षेत्र को बदलना प्रारम्भ कर दिया है वह समाज के हर क्षेत्र में उपस्थिति देने लगी है। आज की शिक्षित नारी समय और शिक्षा दोनों के महत्व को जानती है। प्रत्येक क्षेत्र में नारी की सक्रिय भूमिका देश के निर्माण में लगी है। संविधान भारत के अन्य नागरिकों के समान ही महिलाओं को भी समाजिक, राजनितिक व आर्थिक न्याय प्रदान करने की घोषणा प्रदान करती है। इस पुस्तक में लेखक ने निष्कर्ष के माध्यम से भारतीय नारी के जीवन के बदलने व उनके विकास में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करती हैं एवं समाधान के प्रयासों का भी विवरण देती है। जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, साथ ही ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए भी हर राज्य में महिला आयोग की शाखा का गठन किया गया है।

सिंह (2018) – ने अपनी पुस्तक में बताया है, कि स्थानीय स्वशासन का विकास उद्देश्य के माध्यम से लेखक ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है। 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम, चलाये गये कार्यक्रम के पीछे सोच थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो।

सिंह (2018) – ने अपनी पुस्तक में बताया है कि त्रि–स्तरीय ढाँचा के उद्देश्य के माध्यम से प्रस्तुत लेखक की शोध पद्धति विश्लेषणात्मक है। लेखक ने पुस्तक के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का ढाँचा त्रि–स्तरीय है। सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। जिस स्तर पर जिला पंचायत खण्ड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर–ग्राम पंचायत, जो भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है।

पालनीथुराय (1996) – ने अपनी पुस्तक में लेखक ने उद्देश्य महिलाओं की भूमिका पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण से ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो रहा है। शोध पद्धति वर्णनात्मक है, लेखक ने पुस्तक के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी से उन्हें नया परिवेश मिल रहा है। वह उनके लिए प्रगति और विकास के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

बिजू (2007) – ने अपनी पुस्तक के माध्यम से उद्देश्य, महिला और पुरुष कानून के समक्ष समान है। महिला की भागीदारी पंचायती राज में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण हुई हैं प्रस्तुत पुस्तक में शोध पद्धति विश्लेषणात्मक है। लेखक ने पुस्तक के माध्यम से भारतीय संविधान में महिलाओं को दिए गए राजनीति अधिकार भारतीय समाज में महिलाओं के विकास के लिए बनाये गए संगठन उनकी कार्य प्रणाली और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए बनाए गए कानूनों का वर्णन किया गया है।

बारीक एवं साहू (2009) – ने अपनी पुस्तक के माध्यम से उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था में प्रस्तुत पुस्तक में शोध पद्धति विश्लेषणात्मक व वर्णनात्मक है। लेखक ने पुस्तक के माध्यम से पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी कर रही है। वहीं महिला गाँव के विकास में प्रोग्राम करा कर निर्णय ले रही है। निष्कर्ष के आधार पर लेखक द्वारा 25 प्रतिशत महिला संगोष्ठी करती है और अपना विचार भी प्रस्तुत करती है।

मौरया (2009) – ने अपनी पुस्तक के माध्यम से उद्देश्य प्राचीन पंचायत और आधुनिक पंचायत राज्य व्यवस्था का अध्ययन, प्रस्तुत पुस्तक में आधुनिक शोध पद्धति वर्णनात्मक है। लेखक ने पुस्तक के माध्यम से आर्थिक, विकास और आर्थिक व्यवस्था की बात की है। पंचायत राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्राचीन पंचायती व्यवस्था में सामाजिक और संस्कृति जीवन पर आधारित थी जबकि आधुनिक सामाजिक संस्कृति और राजनीतिक नियमों पर आधारित है। निष्कर्ष के आधार पर प्राचीन से लेकर आधुनिक युग में क्या–क्या विकास हुआ, ये बताने की कोशिश की है।
मैथ्यू (2009) – ने अपनी अपुस्तक के माध्यम से उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत क्या–क्या शामिल किया गया है और क्या क्या शामिल नहीं किया गया। प्रस्तुत पुस्तक में शोध पद्धति वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक है। लेखक ने पुस्तक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लोग जो पिछड़ी जाति के लोग है, वह पुराने विचार, रूढ़ीवादी विचार के हैं, तथा गाँव के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीति रूप से विकास करना है। निष्कर्ष के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक युग को अपना कर उस राज्य का विकास करना है।

माथुर (2013) – ने अपनी पुस्तक के माध्यम से उद्देश्य संवैधानिक संशोधन 73वाँ एवं महिलाओं को आरक्षण, प्रस्तुत पुस्तक के शोध पद्धति वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक है। लेखक ने संवैधानिक संशोधन के बाद पंचायत राज्य व्यवस्था में क्या–क्या शामिल किया गया है। तथा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया मगर कुछ राज्य में 50 प्रतिशत आरक्षण भी दिया गया है। निष्कर्ष के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि 73 वाँ संवैधानिक संशोधन के बात पंचायत राज्य व्यवस्था में क्या–क्या बदलाव आये।

कोहली एवं सिंह (20120) – ने अपनी पुस्तक के माध्यम से उद्देश्य पंचायती राज्य व्यवस्था की इतिहास तथा 73वें संविधानिक संशोधन, प्रस्तुत पुस्तक के शोध पद्धति वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक है। लेखक ने पंचायती राज्य व्यवस्था का इतिहास वर्णन किया है तथा संवैधानिक रूप से आरक्षण महिलाओं को दिये जा रहे हैं। वह महिला सशक्तिकरण भी हो रही है। पंचायती में राजनीति रूप से भागीदारी ले रही है। निष्कर्ष के माध्यम से पंचायती स्तर में गाँव पर सुधार हो रहा है तथा महिलाओं का भी भागीदारी हो रही है।

शोध अन्तराल –

1. अब तक किए गए शोध अध्ययनों में पंचायती राज व्यवस्था तथा महिलाओं के विकास के लिए 73वें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से बताया गया है, जिसमें जाति पर आधारित आरक्षण व महिलाओं के आरक्षण का अध्ययन किया गया है। वह भी राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश राज्यों पर अध्ययन किया गया है
2. अब तक किए गए अध्ययन में महिला सशक्तिकरण में राजनीति सहभागिता का अध्ययन किया गया है, जबकि ग्रामीण विकास में महिला मुखिया की भूमिका सम्बन्धित अध्ययनों का अभाव है।

समस्या कथन –

भारतीय शासन व्यवस्था विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर आधारित है, पंचायती राज व्यवस्था उसका एक सटीक उदाहरण है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन किया गया था, यही कारण है, कि 1992 के पश्चात् पंचायती राजव्यवस्था में महिलाओं की प्रतिनिधित्व में बढ़ोत्तरी हुई। बिहार ऐसा पहला राज्य है, जिसने वर्ष 2006 में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात 50 प्रतिशत तक कर दिया, महिलाओं की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया। यह संशोधन महिला प्रतिनिधित्व के आंकड़ो को तो बढ़ाता है, लेकिन धरातलीय वास्तविकता को नहीं छिपा सकता है अर्थात् 50 प्रतिशत आरक्षण की

व्यवस्था होने के बावजूद पंचायतों में उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। वास्तव में पंचायतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा तो बढ़ा है लेकिन पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण उनके पति, पिता, और भाई द्वारा उनकी राजनीतिक भूमिका का निर्वहन किया जाता है। उनको न सिर्फ चुनाव लड़ने से पहले ही कई समस्याओं का सामना करना होता है, वरन् एक प्रतिनिधि निर्वाचित होने के बाद भी महिलाओं को सामाजिक, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिला प्रतिनिधि बनने के बाद भी उनकी पारिवारिक और सामाजिक दायित्व कम नही होते हैं, जिसका प्रभाव वास्तव में उनके कार्यों पर पड़ता है। शोध के माध्यम से महिलाओं के समक्ष उठने वाली चुनौतियों को जानना स्वयं उनके वास्तविक भूमिका का अध्ययन करना व ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका का विश्लेषण करना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है।

अध्ययन के उद्देष्य –

1. पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की प्रतिभागिता पर 73वें संवैधानिक संशोधन के क्रियान्वयन का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण विकास में महिला मुखिया की भूमिका का अध्ययन करना।
3. महिला मुखिया के राजनीतिक भागीदारी का विश्लेषण करना।
4. ग्राम पंचायत में महिला मुखिया के समक्ष राजनीति भागीदारी में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।

परिकल्पना –

1. ग्राम पंचायत की महिला मुखिया की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक प्रस्थिति मजबूत है।
2. पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संवैधानिक संशोधन के क्रियान्वयन से महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ी।
3. ग्रामीण विकास में महिला मुखिया की भूमिका सकारात्मक है।
4. महिला मुखिया की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है।
5. राजनीति भागीदारी में महिला मुखिया को सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन का महत्त्व –

प्रस्तुत शोधकार्य, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महिला मुखिया की भूमिका व चुनौतियों के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले शोधार्थी तथा छात्रों के लिये अधिक महत्त्वपूर्ण है तथा यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महिला मुखिया के प्रभाव को जानने के लिए एक महत्त्वपूर्ण शोध कार्य सिद्ध होगा।

सन्दर्भ सूची –

1. महीपाल 2004 पंचायती राज चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट
2. Dr. Ambedkar (1979) Dr. Baba Sahab Ambedkar: Writings and Spechchel, Vol. I,14 April 1979 ISBN (Set) 978-93-5109-064-9
3. Clark, John, J. Local Government of The United Kingdom, London, 1948, p.1
4. Rao, V, Venkant, A Hundred Years of Local Self Government in Assam Beni Prakash Mander, Calcutta, 1965, p.1
5. Gokhale, B.K. The Constitution of India Seth & Co. Bombay, 1977, p. 130.7-8
6. Dwivedi Anupam (2015) Panchayati, Raj & Rural Development Regat Publications, New Delhi.